न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– गुंजन सिंह, आई.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 27 / 2022
जीसीएमएस : 2022 / 418

1. साहबराम पुत्र कानाराम जाति बिश्नोई निवासी 5 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. जगदीश पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी 5 एलसी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

– प्रार्थीगण

बनाम

1. गुरदीप सिंह पुत्र बलवीर कौर पत्नी रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. गुरमीत कौर पुत्री बलवीर कौर पत्नी रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. जगदेव सिंह पुत्र बलवीर कौर पत्नी रूड़ सिंह जाति जटसिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राज0

–अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक : 14.03.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी साहबराम की चक 5 एलसी खाता सं. 111 में प.नं. 126 / 329 मु.नं. 59 की कुल 1.872है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि व प्रार्थी जगदीश की चक 5 एलसी के खाता सं. 167 में मु.नं. 73,74,65,78 की कुल 2.441है. नहरी मय खाला खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु हरीपुरा बारानी के प.न. 127 / 333 मु.नं. 79 के कि.नं. 21 व 22 में पहले से चालूशुदा एक–एक बिस्वा यानि 0.013–0.013है. रास्ता को चौड़ा करते हुये अनावेदकगण की खातेदारी भूमि चक हरिपुरा बारानी के प.नं. 127 / 333 मु.नं. 79 के कि.नं. 21 / 1 व 22 / 2 में स्थिति 0.240–0.240है. प्रत्येक में एक–एक बिस्वा यानि 0.012–0.012है. रास्ता पहले से स्वीकृतशुदा चालू रास्ता से सटते स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनावेदकगण के रकबा में रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो अनावेदक को कोई एतराज नहीं है न ही कोई मुआवजा की मांग अनावेदक करता हैं। दिनांक 22.11.2022 को अप्रार्थी सं. 2–3 का जवाब बंद किया जा चुका हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा प्रकरण में राजीनामा भी पेश किया गया हैं।
3. तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। तहसीलदार रायसिंहनगर के पत्रांक / राजस्व / 2023 / 74 दिनांक 13.02.2023 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में अंकित है कि "चक हरिपुरा बारानी मु.नं. 79 के कि.नं. 21,22 में 1–1 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज है यह एक आम रास्ता है जो 5 एलसी की आबादी को जाता है इस रास्ते पर लोगों का आवागमन ज्यादा रहता है मौका पर भी यह रास्ता करीब 2–2 करम में चालू हैं। आमजन की सुविधा को देखते हुए उक्त स्वीकृत 1–1 बिस्वा रास्ता के चिपते हुए चक हरिपुरा बारानी के प.नं. 127 / 333 मु.नं. 79 के कि.नं. 21,22 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।"
4. प्रार्थीगण स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। बारसंघ द्वारा कार्य स्थगित किया जाने के कारण अधिवक्तागण उपस्थित नहीं हुए हैं जिस कारण बहस नहीं सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी सं. 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

द्वारा लिखित जवाब में तथा मौका रिपोर्ट तैयार करते समय राजस्व अधिकारी/कार्मिकों के समक्ष रास्ता स्वीकृत करने पर सहमति व्यक्त की हैं। अप्रार्थी सं. 2–3 का जवाब बंद हो चुका हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की गयी हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रास्ता की एवज में मुआवजा की मांग भी नहीं की गयी हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित हैं।

–: क्रियान्वयन आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा चक हरिपुरा बारानी के प.नं. 127/333 मु.नं. 79 के कि.नं. 21/1 व 22/2 प्रत्येक में 0.012है.–0.012है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत पूर्व में इन्हीं किलाजात में पूर्व से ही स्वीकृतशुदा रास्ता के चिपते हुए स्वीकार किया जाता हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा मुआवाजा की मांग नहीं की गयी है एवं रास्ता स्वीकृत करने हेतु सहमति जताई हैं, इसलिए अप्रार्थी सं. 1 को कोई मुआवजा देय नहीं होगा। प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 2 व 3 को रास्ता में आई भूमि की एवज में रास्ते में आई भूमि की डी.एल.सी. दर की दो गुणा राशि अदा करेगा। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थी से प्रतिकर राशि जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 को रास्ते में आई उनकी भूमि के अंश अनुसार भुगतान करें एवं स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गुंजन सिंह)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:43 IST
Reason: SelfAttested